GOVERNMENT BILLS *(Contd.)*

The Employees' State Insurance (Amendment) Bill, 2010

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, I beg to move:

That the Bill further to amend the Employees' State Insurance Act, 1948, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, there are some 20-21 small amendments to help the employees. These are related particularly to enhancing the age of the dependants, covering the benefits and regarding the time for intention notification from six months to one month. Also, under section 10, there is a provision that the Chairman of the Medical Benefit Council will be the DG, ESIC rather than the Director General of Health Services.

As per the amendment of section 12, a Member of Parliament after becoming Minister or Speaker or Deputy Speaker of the House will not remain the member of the ESI Corporation. I have moved all such amendments. This is already approved by the Standing Committee. This was first introduced in the Lok Sabha. Then the Speaker of the Lok Sabha referred it to the Standing Committee. Ultimately, the Standing Committee unanimously recommended certain amendments. We have included all those amendments in the present Amendment Bill. I request the hon. Members to pass this Bill.

The question was proposed.

श्री **एस.एस. अहलुवालिया** (झारखंड): उपसभापति महोदय, मैं कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। Employees' State Insurance पर समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट आईं, जिनको ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया था और इस विधेयक में करीब 15 amendments हैं तथा करीब चार नए sections लगाए गए हैं। प्रमुखत: जो Employees' State Insurance Act, 1948 है, वह social security legislation है, जो employees को sickness, maternity और injury में certain benefit देता है। इसका आधार और इसका एरिया बढ़ाने के लिए कुछ नए प्रावधान भी लाए गए। खास करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। बीपीएल वर्कर्स जो unorganized sectors में हैं, उनको कैसे coverage दिया जा सकता है, उनको कैसे ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, इसके लिए इस विधेयक के द्वारा एक कोशिश की गई है। महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 01 अप्रैल, 2008 को शुरू हुई थी और 15 जून, 2008 तक इसके अंतर्गत करीब सवा लाख स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए गए थे, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। अब इनकी संख्या करीब 54-55 लाख तक पहुंच गई है। आप नए प्रावधानों के द्वारा नए लोगों को जोड़ रहे हैं, किन्तु आपका अपना जो infrastructure है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट vacancy है। ESI होस्पिटल्स में डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ की कमी है। इन आंकड़ों को देख कर मुझे एक बात ध्यान में आ गई, अभी दो दिन पहले एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी का एक मूल कारण उनकी retirement age भी है।

ऐसा लगता है कि ESI hospitals में भी यही कारण है। मेरे पास 2008 से लेकर 2009 तक के आंकड़े हैं, जहां स्टेट वाइज़ medical, paramedical और other staff की कमी बतायी गयी है। आंध्र प्रदेश में 178 medical staff और 216 paramedical, including nurses की पोस्ट्स vacant पड़ी हैं, असम में 22 medical, 10

paramedical और nurses, बिहार में 26 medical और 75 paramedical, चंडीगढ़ administration में 1 medical और 10 paramedical, छत्तीसगढ़ में 22 और 28, दिल्ली में सबसे ज्यादा 316 और 700 हैं। दिल्ली के ESI Hospitals में जो vacancies हैं, वे 316 और 700 हैं, गोवा में 7 हैं, गुजरात में 255 और 569 हैं, हरियाणा में 51 और 138 हैं, पश्चिम बंगाल में 241 मेडिकल और 955 paramedical including nurses की जगह खाली पड़ी है। महोदय, अगर मैं पूरे भारत के आंकड़े दूं तो करीब 2017 मेडिकल और 5055 paramedical और nurses की जगह खाली पड़ी हैं, जहां भरपाई नहीं हो सकी, यह 2008-09 के आंकड़े बताते हैं। जब आप यह विधेयक लाए, उस वक्त आपने इसको ध्यान में रखते हुए कहा कि हम Third Party Participation से अपने अस्पतालों को लाएंगे, TPP के माध्यम से लाएंगे। महोदय, आपका खुद का अस्पताल है, ESI Hospital, Kolhapur, ESI Hospital, Bibwewadi, Pune, और ESI Hospital, Chinchwad — ये पूरी तरह से ऑपरेटिव नहीं है। महोदय, Third Party Participation का मतलब क्या है? जैसे इंश्योरेंस कम्पनी third party administration ले आए या CGHS ने बहुत सारे अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को recognize कर दिया कि वहां पर भी अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो CGHS उसकी भरपाई करेगी। अगर ESI भी वही करने लगे तो फिर अस्पताल बनाने के लिए जो आपने infrastructure तैयार किया था, उसकी क्या जरूरत थी? आप virtually प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो आपका अपना infrastructure है, उसमें अगर आपका अपना स्टाफ ही नहीं होगा तो बेड और पेशेंट रेश्यो नेचुरली नीचे आ जाएगा। डॉक्टर और पेशेंट रेश्यो अगर ज्यादा होगा, यानी एक डॉक्टर और 1000 पेशेंट्स होंगे तो एक पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने में टाइम लगेगा, उसकी लम्बी डेट पड़ेगी, लम्बी कतारें होंगी और वहां पर लोग नहीं आएंगे। आपका जो अपना infrastructure है, अगर आप सदन को बताते कि आपका रेश्यो क्या है — आपके पास बेड और पेशेंट रेश्यो कितना है, उसमें utilize और underutilize कितना है, average कंट्री का और आपका पेशेंट और बेड रेश्यो क्या है, उसी तरह से नर्स और पेशेंट रेश्यो क्या है, paramedical staff and patient ratio क्या है, ओपीडी और in-house treatment का रेट ऑफ रेश्यो क्या है — अगर यह सब बताते तो हमें थोड़ा पता लगता कि वाकई आपको TPP पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पहले आप खुद की 100 परसेंट vacancies खत्म करिए, employment दीजिए। महोदय, डॉक्टर बेरोजगार बैठा है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, नर्स बेरोजगार बैठी है, कोई सोच भी नहीं सकता, paramedical staff बेरोजगार बैठा है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता क्योंकि इनकी सख्त जरूरत है। They are in demand. I do not know why you are not giving them employment. Is there any problem in it? Please solve that problem first.

Then, Sir, there is another Yojana, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, श्रमिक कल्याण योजना में आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लाए हैं। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत जिन लोगों की जॉब चली जाती है या retrenchment होता है या फैक्टरी का या एस्टेब्लिशमेंट का closure होता है या permanent disability होती है, उनको भी a monthly cash allowance of about 50 per cent of the wage as well as medical care for themselves or dependent family members for a period of one year which may be available in a single spell or the spells of not less than one month each दिया जाय।

इनको कमेटी ने रिकमंड किया था कि इनको भी इसमें लाइए:

> "The Committee, therefore, recommends that whatever an insured person, after ceasing to be in insurable employment, is willing to continue to contribute towards the Scheme, he may be allowed to avail the benefit of the ESI Scheme."

आज वह प्रावधान नहीं है और न ही आप इसमें लेकर आए हैं। आपने कहा कि स्टेंडिंग कमेटी की सारी रिपोर्ट मान ली है। आपने स्टेंडिंग कमेटी की सारी रिपोर्ट नहीं मानी है, क्योंकि स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में आपने एक सब-कमेटी बनाई, the Sub-Committee constituted by the Employees' State

Insurance Corporation to review the existing provisions of the said Act, और उसके बाद आपने उसमें से सलेक्टिव कुछ को एक्सेप्ट किया, कुछ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मेरा कहना है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत थी कि राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत भी जो लोग आते हैं उनको भी यह कवर होना चाहिए।

Sir, wage ceiling under ESI, आपने दस हजार तक का वेज सीलिंग की है। कमेटी ने कहा था कि:

"Considering the admission of the Government, that there is a vast infrastructure of ESI lying underutilized on one side, and, at the same time, there has been a revision in wages also, the Committee are of the view that the current ceiling for Rs.10,000/- should be raised to Rs.15,000/- so that considerable number of employees who are now out of the purview of ESI Scheme may also be covered so that the infrastructure of ESI could be utilized to the optimum possible."

इसको भी आपने नजरअंदाज कर दिया।

श्री **रामचन्द्र खूंटिआ** (उड़ीसा): रूल अमेंडमेंट हो गया।

श्री **मल्लिकार्जुन खरगे**: इसमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी। रूल अमेंडमेंट करके कर सकते थे इसलिए मैंने फर्स्ट मई से जारी किया है दस हजार से पंद्रह हजार का।

श्री **एस.एस. अहलुवालिया**: क्या रूल को आपने हाउस में ले लिया?

श्री **मल्लिकार्जुन खरगे**: फर्स्ट मई से है, अब ले करेंगे।

श्री **एस.एस. अहलुवालिया**: कल तो हाउस समाप्त हो रहा है। अगर आपने फर्स्ट मई से किया था। ...**(व्यवधान)**... मंत्री महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अगर आपने फर्स्ट मई को किया और रूल अमेंड किया, तो सदन चल रहा है, अगर सदन में बतला दिया होता तो मैं यह सवाल नहीं उठाता। यह गुपचुप में नहीं रखना चाहिए। अगर कोई भी रूल अमेंट करना है तो हाउस में लाना है। अगर हाउस नहीं है तो जब हाउस शुरू होगा तब लाना चाहिए। क्योंकि अब हाउस चलते में किया है तो नेक्स्ट डे ही एनाउंस करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया।

सर, इसमें एक नया 51E इंर्स्ट किया है। यह एक अच्छा कदम उठाया है।

इन्होंने commuting accident कहा है। कोई आदमी अपने कार्य क्षेत्र में जा रहा है या वहां से वापिस घर को लौट रहा है, अगर रास्ते में उसका accident होता है, तो उसको भी ईएसआई के बेनिफिट्स मिलने चाहिए। आपने 51 (E) में एक नया सैक्शन insert किया, यह स्वागत योग्य है। इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि जो Workmen Compensation Act है, Accident and Disability Compensation Act लेबर के लिए है, क्या आप उसमें संशोधन लेकर आए हैं?

मंत्री जी, मेरा कहना है कि आपने 51 (E) insert किया है और एक नया सैक्शन आ गया है, यह बहुत अच्छा, स्वागत योग्य सैक्शन है। जब एक श्रमिक घर से काम को और काम से घर को वापिस जाता है और उसका accident होता है, तो उसे ईएसआई का बेनिफिट मिलना चाहिए। क्या यही बेनिफिट आप एक कामगार को कम्पनसेशन में भी देते हैं? क्या यह लेबर वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के तहत कवर्ड है? अगर यह वहां कवर्ड है, तो इसको यहां पर लाने में इतनी देर क्यों की है? यह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर हुआ है। इसको आप अपनी इच्छा से स्वत: नहीं लाए हैं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई, उसकी वजह से लेकर आए हैं। आप इसको स्वत: लेकर आते कि वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट में इस तरह का प्रावधान है, तो ईएसआई एक्ट में भी ऐसा ही प्रावधान होना चाहिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, तब आप

1.00 P.M.

इधर आए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। विधेयक हम बनाएं और सुप्रीम कोर्ट उसका आकलन करे। सुप्रीम कोर्ट हमको आदेश दे ओर हम विधेयक बनाएं, तो यह थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। खासकर के जब वर्कमैन के भविष्य के बारे में हम सोच रहे हों, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

उपसभापति महोदय, आपने definition of "dependant" में 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया है और 25 साल करने की मांग है। क्या आप इसको 25 साल कर रहे हैं? कमेटी ने 25 साल करने के लिए कहा है।

श्री **मल्लिकार्जुन खरगे**: हम वही मानकर कर रहे हैं।

श्री **एस.एस. अहलुवालिया**: ठीक है। जो ईएसआई का रूल है उसका एक कम्पेरिज़न आपको सीजीएचएस के रूल के साथ भी करना चाहिए। जैसी definition सीजीएचएस की गवर्नमेंट एम्पलाईज़ के लिए है, वही ईएसआई के रूल्स में भी बननी चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर ऐसा किया जाए, तो बेहतर होगा।

Dual Control के बारे में स्टैंडिंग कमेटी ने एक मांग की थी,

"The Committee note that the medical care under the ESI Scheme is administered by the State Governments except in Delhi. The State Governments provide contribution to the Scheme to the extent of 1/8th (twelve-and-a-half per cent) of the cost of medical benefits. In addition, the State Governments are also required to bear expenditure in excess of the ceiling fixed by the Corporation for purpose of reimbursements. The imposition of ceiling appears to be unrealistic, and also has been resented to by the State Governments who are demanding its withdrawal. Further the ceiling appears to be one of the reasons for the unsatisfactory service provided by the State Governments in ESI hospitals and dispensaries run by them. Furthermore, the ESI Corporation has approved to take over ESI Schemes in the States from the State Governments to be run directly, wherever the State Governments give consent for the same.

The Committee further recommend that the suggestion of Second National Labour Commission that a 'subsidiary of ESIC should be set up in each State', should be considered and its feasibility evaluated."

क्या आपने यह किया है? यह "subsidiary of ESIC should be set up in each State" ऐसा कोई प्रावधान इस विधेयक में मुझे नजर नहीं आया है। इसको विस्तार से बताने की जरूरत है।

श्री **उपसभापति**: अहलुवालिया जी, आप लंच करेंगे?

श्री **एस.एस. अहलुवालिया**: सर, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। मैं समझता हूं कि जो आपने पीपीपी के बारे में सोचा है, उसके पहले इन सारी चीजों पर विचार करने की जरूरत है।

आप पैरामैडिकल ट्रेनिंग सैन्टर और मेडिकल कॉलेज़ेज के लिए एक अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं। आप उन पैरामैडिकल ट्रेनिंग सैन्टर्स, मैडिकल कॉलेज़ेज और नर्सिंग इंस्टिट्यूट्स में यह कोशिश कीजिए कि उन्हीं कामगारों के बच्चों को एडमिशन मिल सके न कि बाहर के लोग पैसा देकर, कैपिटेशन फीस देकर एडमिशन लें। आपके पास बैड की संख्या है, मैडिकल काउंसिल के जो पैरामीटर्स हैं, आप उनको पूरा कम्पलीट करते हैं। आप मैडिकल कॉलेज बनाएं, नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स बनाएं और पैरामेडिकल कॉलेज़ेज बनाएं, किंतु उनमें पढ़ने के लिए उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाए जो कि कामगारों के बच्चें हैं। तभी वहां से एक कामगार का बेटा डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, बल्कि मज़दूर का बेटा डॉक्टर बनेगा। जब मज़दूर का बेटा डॉक्टर

बनेगा तो वह उस दर्द को समझेगा और मज़दूर के इलाके में काम करेगा, ESIC के हॉस्पिटल में काम करेगा, नहीं तो वह विदेश चला जाएगा। मैं यही कह कर, अपनी बात समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch till 2 p.m.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at three minutes past two of the clock,
THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KALRAJ MISHRA) in the Chair.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Employees' State Insurance Act of 1948, इसका जो अमेंडमेंट आया है, the Employees' State Insurance Amendment Bill, 2010, हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं। यह जो इंश्योरेंस ऐक्ट का अमेंडमेंट आया है, इसमें दो-तीन इम्पोर्टेन्ट मुद्दे हैं। वे बहुत अच्छे मुद्दे हैं। गवर्नमेंट की जो इंटेशन है, उस इंटेशन को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल केयर, बीपीएल के नीचे जो लोग हैं, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, राष्ट्रीय बीमा योजना के अंतर्गत जो मजदूर हैं, उनके लिए एक्सटेंट करने की बात भी इस अमेंडमेंट के साथ संबंधित है। इसमें सरकार की जो इंटेशन है, वह इंटेशन मालूम पड़ती है। इस अमेंडमेंट पर बोलते हुए यह बात आई है कि सरकार का यह अमेंडमेंट लाने का उद्देश्य नहीं था, यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक आया है। यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो I.L.O. कानून की समीक्षा करके निर्देश देती है, उनको मानते भी हैं, मगर the Amendment, which has been brought in Parliament, is the outcome of the recommendations of the Standing Committee on Labour. हमारी जो लेबर की पार्लियामेंट्री स्टैण्डिंग कमेटी है, इंडियन लेबर कांफ्रेंस है और ई.एस.आई. कॉर्पोरेशन है, उन सभी का जो सुझाव है, उन सभी सुझावों को मिलाकर यह अमेंडमेंट आया है। And, the U.P.A. Government, the Congress (I) Government, has always been pro-labour. भारतवर्ष में जितने भी श्रम कानून हैं, चाहे कोई नया कानून हो या कानून का अमेंडमेंट हो, वह कांग्रेस की सरकार, यूपीए सरकार के समय में आया है।

The ESI Corporation is the outcome of the 1948 ESI Act. It is the second biggest social security organization in this country. It has an infrastructure comprising of thousands of hospitals, medical dispensaries and so on in the whole of the country. The insured persons are more than 1.5 crores. It covers around five crore families members and looks after their medical care. सर, इसमें जो amendments आई हैं, उनमें एक सबसे important amendment है कि इसमें super speciality medical treatment के लिए, medical education के लिए, मेडिकल कॉलेज establish करने का प्रस्ताव है। यह भी बहुत important प्रस्ताव है। कई मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाले हैं। पिछली सरकार के समय यह सुझाव आया था, उस समय फर्नांडिस जी लेबर मिनिस्टर थे और अभी मल्लिकार्जुन खरगे जी लेबर मिनिस्टर हैं। ESI Corporation भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। Fortunately, the Labour Minister himself is taking a lot of interest in it. The Director General and the Secretary (Labour) are also taking a lot of interest in this. But there are some bottlenecks, for the removal of which the amendments have been brought forward.

Sir, I want to make one point. It has been mentioned that various posts of staff positions, medical doctors, professors, etc. have been lying vacant in various hospitals and dispensaries. It is an admitted fact, Sir. As we know, Health is in the Concurrent List; the ESI scheme and medical care is being managed by State Governments except that one hospital in each State has been

taken over by the ESI Corporation and, in Delhi, it is being directly managed by the ESI Corporation. Now, the question is, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है that those insured are not getting proper medical care. Who is responsible for this? The workers are paying the money. We have enough money with the Government. Neither the Central Government, nor the State Governments, pay the money. The contribution is being paid by workers and the employers. A tripartite body is managing the whole ESI Corporation. The medical care is being provided by the State Governments. Many time, the State Government hospitals are using their powers for postings and transfers but they are not providing proper medical care to the insured persons. It is a fact that, at many places, a number of posts of different staff positions, doctors, etc. have been lying vacant. Medicines are not available. The medicines that are available in the hospitals and dispensaries which are not required. So, Sir, the workers are suffering. I do expect that so far as the ESI Corporation-managed hospitals and dispensaries are concerned, the Corporation will take immediate steps to fill the vacant posts. This issue has been discussed many times at the State Labour Ministers' meeting and also at Labour Secretaries' meeting, but nothing has happened. As per the decision of the ESI Corporation, one hospital in each State was to be taken over and managed by the Corporation. Those hospitals are being managed well by the Corporation. But what about the dispensaries and other hospitals? Sometimes when we talk of ESI taking over all the hospitals and dispensaries, the question of State Governments being responsible for it and ours being a federal structure, comes in. They say, since ours is a federal structure, it might create problems. But the main question is, how long our workers, the people who have insured themselves and who are making their contributions, will continue to suffer. That should be taken into consideration. It is high time the Government took control of the hospitals and dispensaries; let them not pay the 1/8th share that the State Governments are paying. All the expenditure should be borne by the ESI Corporation and the insured persons should get their rightful benefits. Otherwise, we know that the workers have been agitating for a long time. They are not getting proper medical care. Then, Sir, the grievance redressal machinery in the ESI Corporation has also improved very much. They are trying their best to get proper feedback from the workers so that they can improve their functioning and provide more and more benefits to the workers.

Sir, another amendment which has been intended through this Bill is relating to dependant benefits. Through this amendment, the age of dependant has been raised from 18 years to 25 years. Definitely, it is a good thing. As a result of it, more people will get the benefit. Section 293 relates to exemption to apprentice workers. Taking the benefit of that, many apprentices continued for a long time. So, by amendment of this section the apprentice workers will get that also. The scope of family has been increased.

In Section 10, DG, ESIC has been made the ex-officio Chairman of the Medical Benefit Council. I think, this will also yield good results because the DG is also the administrative head.

There is one point about the factories under Section 2(12), to facilitate the coverage of small factories, I think, it has not been agreed to. My request is that the Government should consider it. I am saying this because now from 10, the applicability will go to 20. The ESIC is a social security scheme. In my opinion, there should not be any restriction of numbers. Any worker who is working should also have the benefit of the social security scheme. Even many employers who are employing one or two workers are also agreeable to cover their workers under the ESIC social security scheme. It has been said that it is being done to help the small scale industries. It is not correct. I am saying this because in small scale industries also, there would be disease, sickness, accidents, etc. Who will cover it? Ultimately, the worker will go to the court to get the benefit under the Workmen Compensation Act and other Acts also, and the burden will come on the employer. If a worker is covered under the Employees' State Insurance Act, then, all the burden of accidents, etc., will go to the ESIC, and not to the employer. So, increasing the coverage of the ESIC Scheme will indirectly be helpful to the employers.

Sir, my another point is about accountability. Earlier the period was five-year valuation, and now it has been reduced to three years. That is a good thing. Now, after every three years, there would be a scope for the valuation.

Sir, by amending Section 45(a) and 97, the post of 'Inspector' has been redesignated as Social Security Officer. Some Members expressed their concern in the Standing Committee that by changing the designation of the Inspectors, they will also change their work. I don't think their work will change because it is well defined in the Act. Through this amendment, only the post has been redesignated. So, this amendment is acceptable.

Sir, my next point is about the insured persons. In order to avoid the misuse of employment injury benefit by the insured persons who are no more insurable in employment, as per Section 51(a) and 51(b), another amendment is there. Shri S.S. Ahluwaliaji was also saying about it. In course of employment, if there is any injury to the worker, then, he should be insured for that. That amendment is very much acceptable. While a worker is going to join his duty or coming back or on the way to his duty, if he meets with an accident, he is also eligible to get the insurance claim, as he is getting it under the Workmen Compensation Act. I think, this amendment should have come much earlier. Though it is late, but finally it has been done. This will also benefit the workers. So, it should include work place and vice-versa.

Sir, there is one important amendment in Section 56(3) regarding extending medical facilities under the ESIC to those employees who are retiring or taking voluntary retirement. That amendment is also acceptable.

As far as the question of the ESIC having an agreement with the local authority or other persons and creation of a statutory body in the State is concerned, I would like to say that it has been discussed many times. If it is possible to have such an arrangement, then, it will be good.

But, my suggestion is, it should be designed in such a way that the workers should get the benefit of the system. If it is properly created at the State level, then, it is a good thing.

Sir, some people have expressed their apprehension that all these amendments in the ESIC would pave the way for privatization of it. We do not support any privatization of ESIC. If a worker is suffering from some serious disease, he can be treated in a super-speciality hospital. So, that advantage is being given to the worker through this amendment. The workers are getting the benefit. On the other hand, where ESIC infrastructure is there, hospital is there, dispensary is there, and suddenly some factories are closed — from 50,000 IPs it has come down to 2,000 IPs — then that infrastructure can be used for other beneficiaries.

When there is infrastructure already, there are dispensaries, medical doctors, paramedical staff are available, that facility can be utilized for the other beneficiaries. The ESI composition can get the benefit. So, nothing is wrong if it is utilized. But, the main question is, as I have said, that the Central Government has to, in consultation with the State Governments, take a decision about providing the medical care. The State Governments have to streamline medical care, transfer, filling up of vacancies, about the availability of medicines. Of course, there is a dispute about the number of beneficiaries. While the number of beneficiaries at the ESI corporation at the Centre, as alleged by the State Governments, is less after the estimate. On the other hand, ESI says that the State Governments are increasing the beneficiaries and hence it should get more money. This issue has to be settled. I think, if the State's number of beneficiaries is correct, the ESI should get its share; there should not be any confusion. If the number is less, that should be determined and in a time-frame, you should ask an impartial committee to determine the number of beneficiaries so that the dispute which is coming between the State Governments and the Centre could be settled once for all.

Sir, about the ESI corporation, many industries are coming in many States whether it is Orissa or Jharkhand or West Bengal or any State. But at various places, the workers are not covered under the ESI corporation or provident fund. If they are covered, in my opinion, they can get the benefits. Not only that, the burden on the Government hospitals will be reduced. You must rationalize the schemes.

Take the case of Central Government Health Scheme. In my opinion, for the Central Government employees and the State Government employees, there should be only one scheme and that should be the Central Government Health Scheme or the Government Health Scheme. The State Government employees and officers too should be covered by that scheme. There should not be any confusion. Like the ESI corporation, there are many corporations, there are hospitals, there are many schemes also. Excepting the employees covered under the health insurance scheme, all workers, so far as medical care is concerned, should be covered by the ESI scheme only. If there is a health scheme for Government employees, if that is open for the ESI

employees, then the burden on the State Government or the Central Government hospitals will be less. They can concentrate on the common man. It is high time that at the highest-level, a decision should be taken so that all Central Government and State Government employees are covered by one scheme. The employees working for other corporations should be covered under the ESI corporation only. That can be called ESI Health Scheme or ESI Medical Scheme. That should be developed.

I have already spoken about 99A amendment which gives authority to the Central Government as the appropriate Government for the medical benefit provided under the ESI. This is very much important. Since labour and health are in the Concurrent List, the poor workers are suffering. Sir, you will be surprised to note that the ESI corporation has a deposit of Rs.19,000 crores as fixed deposit. The money does not belong to the Central Government; it does not belong to the State Government; it belongs to the workers; the workers or the employers have contributed to it; so, it is the workers' contribution. So, having Rs.19,000 crores in the form of fixed deposit, why should the workers suffer? Having a scheme like the ESI corporation or the health insurance, I think, the workers should get the benefit.

I am very happy to note that the Director General, to create an awareness, has said in a statement that all IPs or VIPs are welcome. The money which the Director General gets or the doctor gets or anybody is getting is the money of the workers. When workers are paying the money, the workers should get a VIP treatment, whether it is in the ESI corporation or the State Government or the Central Government. We are all jointly responsible and we must be obliged to the workers cause. We should also try to help them because they are the people who are contributing the money.

Sir, we also welcome the decision with regard to medical colleges, training of paramedical staff, etc. But the most important point is that we should concentrate at the ground level for providing medical care to the workers. We must also try to have private medical colleges to produce doctors, nurses and paramedical staff who are very much required. One thing that I would like to say is that whatever decision we take with regard to ESI and Provident Fund, the Finance Department of the Government is always creating problems. By virtue of his post, the Minister is the Chairman of the ESI Corporation and the Provident Fund Trust. But sometimes Government's own Departments create hurdle in the implementation of a decision whether it pertains to staff payment or officers' payment or medical expenses and, for that matter, any expenditure. Why are such things happening? It is managed by the Central Government in order to have the security of money, to have the security of the scheme. If it is not secure, then, people will not have faith in it. But creating hurdle in everything in the name of a Government Circular or in the name of a Government control, I think, is not fair and people will not tolerate it. I would like to submit that the State Government must also realize that this thing has been given to them by a Constitutional right but they should not take it for granted that the ESI scheme can be managed by

them only and nobody can take this power from them. I think, all the hospitals, managed by the ESI Corporation in each State, are well managed, and, I also thank them for the same. Now, there was a proposal by the ESI Corporation and the Standing Committee to ask the State Governments to hand over all the hospitals and dispensaries to ESI Corporation for which they do not have to pay anything. As I have been informed, three States have given their consent, namely, Delhi, Bihar and one more State. These States have given their consent that they are agreeable to hand over the hospitals and dispensaries, of course, with some conditions. The other State Governments are not willing. I think, the ESI Corporation and the Labour Department of the Central Government should negotiate with them. Those three States which have already given their consent, the hospitals and dispensaries in these States should immediately be taken over by the ESI Corporation for managing them. That will be like a pilot project that give an impression to other States and workers that, yes, ESI Corporation can also manage without having any problem or conflict between the States and the Centre. Sir, about the BPL families and the Rashtriya Swasthya Bima Yojana I have already said that it is a welcome proposal. But the question is how it will be managed and who will pay the contribution and whether they will pay for it for it or it will be done without taking anything from them. This point should be made clear. Medical care under the Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana is also being managed by the ESI Corporation which is a welcome proposal. But the question is how many more workers have been benefited by this scheme. The irony of the fact is that for the year 2008-09, it was Rs.10 crores which has not been fully utilized. Why? Is it because there is no proposal or reference? I want to know from the hon. Minister why such a scheme has remained underutilized. This is a unique scheme. It is meant for those workers who are covered under the ESI scheme. If a factory is closed or the workers are retrenched or laid off, they get benefit for one year under this scheme. This is a new scheme in the country and it should be utilized to the fullest extent. Why has it not been utilized? I think, it should be utilized and you should have more amount for this in order to have faith of the workers and create a sense of security among them that the ESI Corporation is taking care of the workers and they are getting the benefit of such a scheme. Sir, I would like to say one more thing here about the appellate authority within the Corporation to make assessment to avoid unnecessary litigation. This is very important. As you have seen in the case of Banks, there is NPA in the Banks. Whatever it may be, by authorizing the banks and also by giving them some power also, the NPA has come down. So, it has worked. We have to see how we can reduce the arrear of cases. I think, the number is not less. As I know, about Rs. 1,000 crores are pending with various employers.

There are many cases. In Delhi itself, I am ashamed to say, many corporations who are there engage the workers under some contractors. The workers have paid the ESI contribution but that has not gone into the record and they are not getting medical benefits. I think, more than Rs. 1000 crores is pending on various employers. How can it be dealt? There was a proposal that it can be

reduced, some money can be waived off. But, I think, that won't be right and the appellate authority within the Corporation is against the assessment to avoid unnecessary litigation. The amendment has come in 45 (a) (a) but I think, it should be taken care because unnecessarily money is pending as against some of the employer for a long time and the workers are not getting benefit. Even in some cases, the workers have paid contribution but the employers have neither deposited the employer's contribution nor deposited the workers' contribution. So, this is very unfair. I think, this amendment also will resolve that issue. I think, this is one of the biggest amendments. There are 15 amendments and four new additional clauses have been brought into this amendment. We do support this amendment, as I said, but in some cases — like the factory workers —Section 2 will facilitate coverage of smaller factories, I think, the Government should review this thing and if any employer or employee is agreeing, then, ESI coverage should be there. With this, I once again support the ESI (amendment) Bill and expect this amendment will change the face of ESI Corporation and fulfil the expectation of the workers. Raising of ceiling from 10,000 to 15,000 was also raised. I think, it has been already said by the Labour Minister that it will be late. I think, it should be done immediately because there is one case also. Anybody who is covered by the ESI Corporation and after the revision of the wage of the next agreement, he is going out of the ESI purview. So, when ESI is developing infrastructures, doctors, dispensaries and after that the workers are going out of the purview then, ESI is also facing problem. So, the amendment should have come also. Once a person is included in ESI scheme, he should continue till his retirement. He should also be covered. Of course, the deduction maybe up to Rs. 15,000 or Rs. 14,000 or whatever it may. But, the coverage should be there till the workers retire. I think that will also create a security among the ESI scheme and among the workers also. I believe the Government should do their best to give protection and safeguard to the workers and also allow the great social security scheme, ESI. I once again support this Bill. Thank you.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal) : Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. I rise to give my observation on the ESI (amendment) Bill, 2010 and make certain concrete suggestions for your consideration and acceptance. I welcome the involvement of the Employees State Insurance Corporation in the administration of Rashtriya Swasthya Bima Yojana. But, that is a very big task and for that task to be undertaken successfully, present manpower of ESIC has to be substantially augmented. In that respect, please don't take the shortcut route of giving on contract or outsourcing. At least PPP will be ineffective in that area where the workers' benefit is concerned. Secondly, the House owes an explanation as to how many of the unanimous recommendations of the Standing Committee on Labour on this Bill has not been accepted, not been incorporated and why you have accepted some. But, the Standing Committee represented by all the parties makes a unanimous recommendation I think, not accepting that would be height of impropriety. I think,

you have taken a very novel step for amending the ESI Bill but that novel step should not have this kind of loopholes, that consensus has been created on certain provisions and that should be gracefully accepted by the Government and through suitable incorporation of amendments in this Amendment Bill itself.

____Some of the important recommendations of the Standing Committee are not accepted. What are those? It is raising the age of dependent children from 21 to 25 years. Now-a-days, Sir, jobs are not available at the age of 18 or 19 or 20 years. A new reality has developed. I think that is important.

Secondly, the coverage of ESI Scheme should be extended to employees of all establishments, irrespective of number of persons employed. There should not be any threshold limit. All establishments, even if they employ less than 10 persons, should be covered. Sir, number '10' is no more a sacrosanct now. Now-a-days, after development of technology and computerization, even if an establishment has five employees, it can have a turnover of Rs. 100 crores. There are many examples. So, there is no reason absolutely, in the name of helping the small and medium establishments, to carve them out from the purview of this legislation. So, absolutely, there is no justification for that.

Sir, the third point is, there is a dangerous provision of third party participation in the running and commissioning of hospitals. This must be done away with. This should not be there in the Bill. This provision has to be dropped, because it aims at creating an enabling situation for privatization. I am not saying that you have an intention of privatization. But you are opening a door by which an enabling situation will be created. So, please do away with this. After all, when you think of workers health, no PPP model can work. All the consensus proposals of Standing Committee must be accepted. Besides this, there are a few other points.

The first one is, the proposal to re-designate Insurance Inspector as the Social Security Officer. I consider this as a very dangerous proposition. You may say that his work continues to remain the same. But, again, you are creating an enabling condition to do away with the inspection system altogether, particularly when the topmost man in the Government has been regularly lamenting about the Inspector Raj. I think, the mind set is clear. So, please do not provoke that kind of a possibility, at least, in the area of social security of the workers. Inspection has to be there and without a system of strong inspection, no Act can be fully enforced and benefit cannot be delivered to the grass-root level workers. So, please do away with this. This is not at all acceptable.

Third point is, I would like to draw the attention of the hon. Minister to a point. Sir, the hon. Minister has taken some very important steps. The voluntary retired workers are covered. I suggest for consideration that retrenched workers should also be covered. I am not talking about the dismissed workers who are dismissed on disciplinary grounds. But retrenched workers can be included. It is because retrenchment has become a regular phenomenon in all sectors. Sir, between October, 2008, and July, 2009, in this small period, 50 lakh people lost their jobs in

export-oriented sector. Nobody got any benefits which are enumerated in your host of social security schemes. So, Sir, retrenchment has become a regular phenomenon. It is beyond the control of the workers. And, sometimes, it is beyond the control of the Government. So, at least, once they are covered under the ESI umbrella, they should continue get the medical support. Otherwise, how do they survive? So, along with voluntary retirement, you should bring retrenched workers also. Voluntary retirement in many cases is a forced retirement. So, please also bring retrenched workers and laid-off workers within the purview of the ESI Act. This is my third suggestion.

Sir, I, now, speak about the implementation. It is very good intention. Sir, if law is not properly enforced, then, ultimately, it remains only on paper. In this respect, I would like to draw your attention that the implementation of the ESI has to be strengthened. I will request the hon. Minister to just walk down to the industrial area of Delhi — Wazirpur, Samaipur Badli, etc. — you will find that out of 100 workers, 20 workers are on the employment roll and the remaining 80 are on contract. They are on contract and, legally, they are coverable under the ESI Act. But, they are not registered under the ESI Act. They are not registered under the PF Act. This is a regular happening. And, Sir, you need not go to as far as Wazirpur. Just from your office, cross the road, and, on the other side, you have the Vittalbhai Patel House.

Just see there what the status of contract workers, employed by the CPWD, is. There is no ESI, no PF for them, nothing. Sometimes they are not even getting the minimum wage. Under the very nose of yours, the laws, of which you are custodian, are being trampled and are being violated. The ESI Act is one of them. What are you going to do in this regard? Certain basic contradictions are evident here. As per section 2(13A) of the ESI Act provides on Insurable Employment to which factories or establishments this Act applies. This Act, as per your own formulation, applies to any establishment employing ten or more workers. This is as per your formulation. I am saying that make it universal. If the employer of ten or more workers does not register their workers under the ESI Act, what happens, the Act stands violated. In the ESI Act there is a provision, which empowers the ESI authority to see that that is implemented. There are specific cases. Can you cite a single case, during the period of last five years, where the ESI Corporation has invoked that provision to bring the defaulter employers under the scheme? Workers cannot register themselves under the ESI Act. That is how your inspection system is functioning. Now, you are trying to re-designate your Inspector as Social Security Officer, giving a complete goby to the concept of inspection altogether. You bring hundred good amendments in the Act, but if you don't enforce them, that will carry no meaning to workers. I would like to urge upon the hon. Minister to concentrate on all these aspects.

I can quote a specific case. In an export company, named Tenex Exports, in my State, a devastating fire broke out in November, 2006 where twenty workers were severely injured and ten workers had died. When they claimed ESI compensation, the ESI authorities told them that they

were not registered under the ESI Act. Who will register them? It is the employer's or owner's duty to register them. I had written to the ESI authorities, to the Director-General, to the Additional Commissioner (Benefit) and also to the Minister. But no action has been taken. Not only that, the Additional Commissioner (Benefit) of the ESI Corporation had no hesitation to say, Yes, the ESI Insurance Inspector had visited that place just one month after the accident. Everything was all right in the Tenex Export. The company is fully abiding by the laws. This is my experience. Everything is on record. If the Minister wants, I can again send him a full set of my entire correspondence. Right under your nose, how does the Corporation, which is supposed to extend the social security benefit to the poorest of poor workers, behaves? Their responsibility is to enforce the law and to fix the responsibility of the defaulter. But instead of doing this, they take the side of the defaulter. I think, this is another model of Public Private Partnership! Employers are defaulter of paying tax. The direct tax arrear is to the tune of 2.5 lakh crores; and, you have given them more concession on Direct Tax. The ESI law is being broken by the employer and the Inspector of your Corporation is taking the side of the employer and is saying that everything is alright. No action has been taken. No relief has been provided to the workers. The workers are not going to digest this kind of PPP; people are not going to digest this kind of PPP. While welcoming this Bill, I would like to insist on you to accept the unanimous recommendations of the Standing Committee. There are serious and wide grey areas in the enforcement. Unless you fix them, all good intentions of yours, ultimately, will not bear any result. The workers will continue to suffer. That itself will create a very dangerous and volcanic situation in the country. I think, well in advance, we should receive an alarm about it and ensure proper enforcement machinery for the ESI Act. And, I again reiterate that please, with all good intentions that you have demonstrated, see to it that the unanimous recommendations of the Standing Committee are accepted gracefully. And, accordingly, based on that, please incorporate suitable amendments in the Act.

With these few words, I conclude, Sir. Thank you.

श्री महेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। जो कर्मचारी राज्य बीमा विधेयक लाया गया है, मैं इस के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें बहुत से अच्छे प्रोविजंस हैं और इससे कर्मचारियों को बहुत लाभ मिल सकेगा। लेकिन वास्तविक स्थति यह है कि हम कानून बना देते हैं लेकिन उस कानून का क्रियान्वयन सही रूप से नहीं हो पाता है। ESI के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं, उनको वहां पर किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। मेरा अपना जो अनुभव है कि जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और जब वे अस्पतालों में जाते हैं, जो अस्पताल ESI के अंतर्गत चल रहे हैं, वहां न तो डॉक्टर्स होते हैं, न मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, न नर्सिंग स्टाफ होता है, जबकि ESI के अंतर्गत वह वर्कर अपना पैसा देता है, कंट्रीब्यूशन देता है तथा एम्प्लॉयर भी उसका कंट्रीब्यूश्यन देता है। इसलिए ESI अस्पताल में न जाकर उन्हें मेडिकल सुविधाएं पाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है और उसके बाद ही उनका सही इलाज हो पाता है। हमारे लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि जो भी संशोधन लाए जा रहे हैं और इसमें जो एक विशेष संशोधन लाया गया है, जिसके अंतर्गत वहां पर कुछ मेडिकल कॉलेजिस को, नर्सिंग कॉलेजिस को और इनको भी स्थापित करने के लिए सैक्शन-59D में

संशोधन लाया गया है। यह बहुत ही अच्छा संशोधन है। लेकिन यह जो हमारे पास ESI का लगभग 19 हजार करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, क्या हम इसका उपयोग करेंगे, क्या हम और अस्पतालों को बनाएंगे, क्या हम यह देखेंगे कि जो अस्पताल चल रहे हैं वहां पर हमारे डॉक्टर्स हों, वहां पर नियमित डाक्टर मिलें? ESI में बहुत आवश्यक होता है कि जब किसी फैक्टरी में कोई कर्मचारी कार्य कर रहा होता है तथा कोई एमरजेंसी हो जाती है और अचानक रात्रि में वह वहां पहुंचता है, तो न वहां नर्सिंग स्टाफ मिलता है और न वहां पर उस समय डॉक्टर्स नहीं होते हैं। हमारी जो इंटेंशन है बहुत अच्छी है, लेकिन इस इंटेंशन को हम पूरा तब ही कर पाएंगे, जब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी ध्यान देंगे। अभी जो स्थिति है वह बहुत अच्छी नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि अस्पतालों के हालात सुधारे जाएं। हमारे पास जो फंड हैं, उससे वहां पर लेटेस्ट इक्विपमेंट लगाए जाएं, क्योंकि हमने 15 हजार रुपए तक के वेतन के कर्मचारी को इसमें कवर किया हुआ है। वह अपने, अपने परिवार तथा अपने बच्चों के लिए अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था चाहता है। यह जो एक सामाजिक सुरक्षा सरकार द्वारा दी जाती है, वह उसका सही उपयोग चाहता है और चाहता है कि उसके बच्चे सही तरीके से रहें और अच्छे रूप से जीवन-यापन कर सकें और एक मजबूत नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकें। तो उसके लिए यह बहुत आवश्यक होता है कि उसको मेडिकल सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्राप्त हों। इसके लिए मैं चाहूंगा कि इन विद्यालयों को बनाया जाए, जिनमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का भी क्लॉज रखा गया है। वह भी एक अच्छा क्लॉज है। लेकिन इन सारी चीजों का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यदि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो केवल स्ट्रेचु बना देने से हमारे कर्मचारियों तक लाभ नहीं पहुंचेगा। इसलिए उनको लाभ देने के लिए यह बहुत जरूरी है। मैं सफाई देना चाहता हूं कि यह जो क्लॉज-2 में अमेंडमेंट लाया गया है, जिसमें 18 साल की जगह 25 साल के जो हमारे युवक हैं, जो परिवार के अंदर हैं, एडॉप्टेड सन हैं, जो काम पर नहीं लगे हुए हैं और जो विधवा वगैरह हैं, उनके लिए भी संशोधन में काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। लेकिन इन सभी चीजों के लिए जरूरी है कि हम वहां पर इस चीज को देखें कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। इसके साथ ही साथ हम यह भी देखें कि हमारे पास पूरी सुविधाएं नहीं है, पूरे अस्पताल नहीं हैं, पूरे डॉक्टर्स नहीं हैं। तो मेरा अपना माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आज इस देश के अंदर सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत सी मेडिकल इंश्योरेंस और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं और यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि वह मेडिकल इंश्योरेंस के माध्यम से अपना इलाज करा सकता है और वह चाहता है उसको ESI से अलग रहने दिया जाए तो क्या इसका कोई प्रावधान हो सकता है कि कर्मचारी के चाहने पर, एम्प्लॉयर के कहने पर नहीं, यदि वह अपना इलाज अपने मेडिकल इंश्योरेंस के माध्यम से कराना चाहता है तो उसे इससे मुक्त किया जा सके, जिससे कि ESI के जो हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर प्रेशर कम हो और वहां पर और अधिक से अधिक लोग पहुंचें और हम 120 करोड़ हिन्दुस्तानियों तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचा सकें, जो बहुत ही अच्छी चीज है।

लेकिन वह कैसे पहुंचे? आज सरकारी अस्पताओं की हालत बहुत खराब है, लेकिन जो प्राईवेट अस्पताल हैं, वे निश्चित रूप से अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहां पर भी जो सम्मानित सदस्य बैठते हैं, हम चेष्टा यही करते हैं कि हम प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराएं। हम ईएसआई हास्पिटल के अंदर ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं प्रदान करते हैं कि हमें यह महसूस हो कि हम ईएसआई के इस डाक्टर के पास जाएंगे, तो हमें अच्छा इलाज मिलेगा, हम यदि इस सरकारी अस्पताल में जाएंगे, तो हमें अच्छा इलाज मिलेगा। हमें अपने साथियों के मन में और जनता के मन में यह भाव पैदा करना पड़ेगा, उनमें विश्वास जगाना पड़ेगा कि किसी प्रकार से हम आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम वहां पर कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी चाहूंगा कि नर्सिंग स्टाफ की तरफ अधिक ध्यान दिया जाए। ईएसआई के अस्पतालों में फोर्थ क्लास के एम्पलाईज़ कम होते हैं। मैंने अस्पतालों में जाकर खुद देखा है, जब मुझे कर्मचारियों

को व्यक्तिगत रूप से देखने जाने का अवसर मिला है, वहां पर मैंने यही देखा है कि वे वहां पर जाने के बाद यही अनुरोध करते हैं कि हमें ईएसआई हास्पिटल से हटा लीजिए और हमें किसी प्राईवेट नर्सिंग होम में भर्ती करवा दीजिए। ऐसा हमें करना पड़ता है, क्योंकि उनको वहां पर सही इलाज नहीं मिलता है। उनको सही इलाज कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है, इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए जो आपकी योजना है कि यदि आप प्राईवेट हास्पिटल के साथ ईएसआई के हास्पिटल स्थापित करना चाहते हैं, तो आप उन्हें आगे बढ़ाएं। आप उन्हें यह मौका दें कि वे ईएसआई के हास्पिटल बनाकर, वहां पर अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें क्योंकि हमारे कर्मचारियों को बगैर किसी पैसे के निःशुल्क सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। निःशुल्क सुविधाएं देने के लिए पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप में कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्राईवेट हास्पिटल, जो ईएसआई के हास्पिटल बनाएं और वहां पर जब कर्मचारी पहुंचे, तो उनसे फिर पैसा मांगा जाए कि आप अगर पैसा देंगे, तो आपकी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। जैसा कि आज सरकारी हस्पतालों में होता है कि वहां पर हमारा कोई बीमार व्यक्ति पहुंचता है, तो वहां पर जो अंडर हैंड वाली वर्किंग होती है तभी उसको इलाज मिल पाता है, वरना उसको कह दिया जाता है कि एक्सरे बाहर से कराकर लाइए। यही ईएसआई अस्पतालों की हालत है। वहां पर न एक्सरा हो सकता है, न वहां पर एक्सरे का सामान होता है। जब तक आप बेसिक सुविधाएं ईएसआई हस्पतालों में नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपके इन संशोधनों का लाभ आम जनता को और हमारे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपा इसके इम्पलिमेंटेशन पार्ट की ओर विशेष ध्यान दें और ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि ईएसआई अस्पताल अच्छे अस्पतालों के रूप में जाने जाएं और वहां पर जाने वाले कर्मचारी को अच्छे से अच्छा इलाज, जो भारतवर्ष में कहीं पर भी उपलब्ध हो सकता है, वह इलाज हमारे कर्मचारियों को वहां पर प्राप्त हो। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये सुविधाएं अवश्य उनको प्रदान करायी जाएं। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): महेन्द्र मोहन जी, आपका धन्यवाद। श्री आर.सी. सिंह।

श्री **आर.सी. सिंह** (पश्चिमी बंगाल): सर, माननीय मंत्री जी कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 2010 लाए हैं, इसमें बहुत सी खामियां रह गई हैं। इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन अभी भी कुछ खामियां रह गई हैं। मेरे पास बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं होता है, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने ऐज लिमिट को 21 से बढ़ाकर 25 साल किया है। जो सीजीएचएस रूल्स हैं, उनमें हमारी फैमिली के बारे में वर्णन किया गया है, अगर उसको पूरी तरह से इसमें इंट्रोड्यूस कर देते, तो और बेहतर होता। सीजीएचएस रूल्स में स्पष्ट है कि हमारे कौन डिपेंडेंट होंगे, इसके बारे में सारा विवरण दिया हुआ है, पार्लियामेंट के दोनों सदन राज्य सभा और लोक सभा के बारे में भी दिया हुआ है, इसलिए इसको इस बिल में इंट्रोड्यूस कर देते तो बेहतर होता। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में एम्पलायमेंट नहीं के बराबर रह गया है, इसलिए ऐज लिमिट और बढ़ाने की जरूरत थी, लोग टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, इसलिए भी ऐज लिमिट को और बढ़ाने की जरूरत है। इसके बावजूद भी इन्होंने ऐज लिमिट को बढ़ाकर 25 किया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। मैं सीजीएचएस रूल्स के हिसाब से इसको करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ।

सर, जो ESI के हॉस्पिटल्स हैं, इनको अपग्रेड करने की जरूरत है क्योंकि इनकी अवस्था अत्यंत खराब है। इन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सें नहीं हैं और न ही कोई रिसर्च विंग है। एक आदमी बीमार होता है, तो उसकी बीमारी के क्या कारण हैं, वह भी पता नहीं लगता है। आम डॉक्टरों जैसा वहां पर इलाज होता है, इसलिए रिसर्च विंग्स होने चाहिए। इसलिए इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है।

सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात यह भी जानना चाहूंगा कि ESI ने एक स्टडी की था और उसमें कहा था कि तमाम लोगों को मेग्नेटिक कार्ड दिए जाएंगे। यह काम अगस्त, 2010 कम्पलीट तक होना था,

लेकिन मुझे नहीं लगता कि मंत्री महोदय का यह काम सटीक चल रहा है और इसे अगस्त, 2010 तक कम्पलीट कर देंगे। इसके बारे में क्या व्यवस्था है, हमें बताने की जरूर कोशिश करें। सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मुझे बड़ा आश्चर्य और दुख भी होता है, मेरी जानकारी के हिसाब से ESI की 55 डिस्पेंसरीज़ हैं, जिनमें से 51 डिस्पेंसरीज़ दिल्ली में ही हैं तथा 4 डिस्पेंसरीज़ उत्तर प्रदेश में हैं। पूरे हिन्दुस्तान में और कहीं भी ESI की डिस्पेंसरीज़ नहीं है, जहां से लोग दवाई ले सकें। इसी तरह हॉस्पिट्ल्स की अवस्था है। ESI के टोटल 23 हॉस्पिट्ल्स हैं और इनमें से मात्र एक हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका है और काफी लोग काम करते हैं, केवल मात्र एक हॉस्पिटल है। आम लोगों को इस हॉस्पिटल से कैसे सुविधा मिल सकती है, इसलिए इसको और एक्सपेंड करने की जरूरत है। माननीय मंत्री महोदय ने बिल में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है कि हम किस तरीके से इसका एक्सपेंशन करेंगे। सर, अगर हम occupancy देखते हैं, तो अधिकतर हॉस्पिटल्स में 30 परसेंट से कम occupancy है। इसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, इसके बारे में मैं मंत्री जी से कहता हूं कि विशेष एफट्र्स की जरूरत है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि Central Government 90 परसेंट expenses bear करती है और 10 परसेंट स्टेट्स करती हैं, तो आप सारे के सारे Central Government के अधीन क्यों नहीं लेते, ताकि और बेहतर हो सकें। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, Budgetary provisions है और सब कुछ दे सकते हैं। एक फुल प्लान्ड वे में हमारे देश के किस कोने में, कहां पर औद्योगिक मजदूर हैं, क्या उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको ये सुविधाएं देने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है और हमें क्या करना चाहिए, टोटल Budgetary provision क्या होगा, इन तमाम चीजों का एक लेखा-जोखा रहता है। अगर मंत्री महोदय इसको सैन्टर से ही ऑपरेट करते तो और बेहतर होता। ...**(समय की घंटी)**... स्टेट अपने तरीके से हॉस्पिटल चलाती हैं। सर, मैं एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। सर, एक बात है, मुझे मंत्री महोदय की बात से पता लगता है कि ये पीपीपी मोड में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप मोड में जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह विशेषकर उन लोगों के लिए सबसे खतरनाक अवस्था है, जो unorganized हैं। अगर एक आदमी बीमार पड़ता है, तो उसके इलाज के लिए अधिकतम 30 हजार रुपए खर्च करने का प्रावधान है, यह मंत्री जी के टार्गेट में है। कौन सी ऐसी बीमारी है जो बोलकर आएगी और हम 30 हजार रुपए के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इस एमाउंट को बढ़ाकर कम से कम दो लाख किया जाए और इसके संग जो बीमारियां आती हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान हो और सरकारी अस्पतालों में इलाज हो।

सर, मैं एक आखिरी बात और कह कर अपनी बात खत्म करूंगा social security officer को इंस्पेक्टर से ऑफिसर बानाने में extra अधिकार क्या दे रहे हैं कि वे उसको utilize कर सकेंगे, बल्कि इससे अधिकारी और खत्म हो जाएगा। मेरे कुछ और प्वाइंट्स हैं, मैं फिर कभी उनको कहूंगा लेकिन मैं कहता हूं कि एक comprehensive bill लाने के लिए मंत्री जी विचार करें।

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (Orissa): Sir, I welcome this Bill. This is intended to improve the conditions of ESI hospitals and workers. However, the Government should have paid more attention. It should have accepted the recommendations of the Standing Committee. As Shri Khuntia*ji* said, when the recommendation was for increasing the ceiling of income from Rs.10,000 to Rs.15,000, it should have been accepted. I support his view. I would urge upon the hon. Minister to kindly consider this. Please do not talk of using under-utilized facilities for others because you do not have under-utilized facilities. As pointed out by the Deputy Leader of the Opposition, you have vacancies of nearly 3,000 doctors and 5000 para-medical staff. In this situation, where is the question of under-utilization? The services are not available. You also reconsider the limit of 10 persons. As Tapan *babu* said, today it

3.00 P.M.

is not the question of high technology and computerization alone. Six million jobs are there in the MSME sector and 95 per cent of the units employ less than 5 persons. So, if you put a limit of ten persons you are not really covering the sector which is contributing the maximum to the GDP of the country. Now, I come to the definition of family. I think the Standing Committee had broadened the definition a little too much. But you could have found a compromise instead of sticking to a very narrow definition. What would happen to dependent sisters, dependent brothers and a dependent step-mother? Why won't you accept them as a part of the family if they are residing normally with the family? Please consider it. "Up to 25 years" is a good amendment and we welcome it. As far as PPP is concerned, please forget any concept of PPP. The Standing Committee said that there should be no third party participation as the ESI Corporation has the requisite capacity. Shri Khuntia who is a member of the Corporation Board said that they have the capacity to take over hospitals in the entire country satisfactorily. If three States more agreed, let them start a pilot project. Let it be studied. Clause 91AA has been brought in for this particular power as amending legislation, so let it go through. Please accept that as a pilot project. If it succeeds, the Corporation can be given the task. Otherwise, merely blaming the State Government is not a good thing. What has the Standing Committee said? It said that the ceiling set by the Corporation in a State is the main reason for the unsatisfactory performance, not the reluctance of the State Governments to allocate funds or allocate doctors. Wherefrom doctors will come? You can assume that if it is with the Corporation doctors will come. How much salary will you pay? States are also paying salaries as per the recommendations of the Pay Commission. Even then the doctors are not coming.

Who will then come to the Corporation? So, let us not play a blame game. We should try something which can be really worked out. Now, I think, the suggestion for one health scheme for all the State and Central Government employees does not come under the purview of this law. But, what Mr. Tapan Kumar Sen said about bringing the retrenched and laid-off workers under this law, along with employees who have taken VRS, must be considered because they are the worst sufferers.

श्री **रुद्रनारायण पाणि** (उड़ीसा): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। जब संसद में इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण विधेयक पर बहस चल रही हो और सब लोगों के दिमाग में यह रहे कि इस विधेयक को जल्दी से पारित कर दिया जाए, तो यह सही मानसिकता बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। वर्तमान सरकार जिस प्रकार संसदीय लोकतंत्र और सदन को संचालित करती है, अगर इससे कई मामलों में सदन का कामकाज बाधित होता है, तो यह विपक्ष या दूसरे-तीसरे दलों का दायित्व नहीं है कि जल्दी-से-जल्दी विधेयक को पारित कर दिया जाए। इस विधेयक को पारित करने के लिए, इस पर बहस के लिए जितना समय आवंटित किया गया है, हर पार्टी के सदस्य उतना ही समय इस विधेयक पर बोलेंगे, लेकिन अगर कोई बड़ी पार्टी कहेगी कि हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो मामला दूसरा है। यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और दो-तीन सालों से pending है। श्रम मंत्री ने कल से लेकर आज तक, दो दिनों के अन्दर श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित दो-दो विधेयक को पारित कराया। वास्तव में उनके समय में यह विधेयक पारित हो रहा है, किन्तु संयोग से इस विधेयक के लिए सरकार की ओर से

जिन्होंने ज्यादा समय दिया, वे पूर्व मंत्री, आस्कर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्री महोदय ने जब इस विधेयक के बारे में सदन के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया, उस समय उनको जिस प्रकार से इस विधेयक की महिमा के बारे में बताना चाहिए था, इसकी पृष्ठभूमि बतानी चाहिए थी, शायद वे उतना बता नहीं पाए। The ESI Act, 1948, was last amended in 1989. Taking into account the changes in economic scenario in the country since 1989, the ESI Corporation, at its 139th meeting held on 17th July, 2007, while discussing amendments in certain provisions of the ESI Act, decided that a sub-Committee of the Corporation be constituted for reviewing the entire Act and suggesting comprehensive amendments therein, taking into account the changed economic scenario. Accordingly, the ESI Corporation constituted a sub-Committee comprising of representatives employers, employees, Members of Parliament, State and Central Government functionaries. The Committee submitted its report to the Corporation which was considered and approved by the ESI Corporation at its 142nd meeting held on 22nd February, 2008. The Committee recommended comprehensive amendments in the ESI Act, 1948, which are mainly aimed at facilitating coverage of smaller factories, streamlining the procedure for assessment of dues from defaulting employers providing an appellate authority within the Corporation against assessment to avoid unnecessary litigation, streamlining the procedure for grant of exemptions, third-party participation in commissioning and running of the hospitals, opening up medical, dental, para-medical nursing colleges to improve quality of medical care, making an enabling provision for extending medical care to non-insured persons against payment of user charges to facilitate providing of medical care to the BPL families covered under the *Rashtriya Swasthya Bima Yojana* introduced by the Ministry of Labour and Employment.

महोदय, यह जो श्रम और नियोजन का मंत्रालय है, यह अनेक प्रकार के कानून लाता है। कल जब यहां पर तमिलनाडु के मामले में कानून पारित हुआ, उस समय अपनी competence के बारे में बयान देते हुए कानून मंत्री ने कहा कि मैंने 77-78 बिल्स को प्रोसेस में रखा हुआ है और जल्दी ही उन्हें लेकर आऊंगा। यूपीए 2004 से सत्ता में है। यूपीए-II को भी अब एक साल हो चुका है। इन छः सालों के अंदर कई सारे कानून पारित हुए हैं। जब हिन्दुस्तान के संसदीय इतिहास पर विचार किया जाएगा, अगर हम कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित जवाहर लाल नेहरू जी, इन्दिरा जी या राजीव जी के समय को भी देखें तो 1947 के बाद से अब तक इतने कानून कभी पारित नहीं हुए हैं। विशेष रूप से जो श्रम आधारित कानून पारित हुए, उनके लिए कहा जा सकता है कि यूपीए-I के समय में साढ़े चार साल तक आप वामपंथियों द्वारा बाहर से समर्थित थे, इसी कारण उस समय बहुत सारे श्रम आधारित कानून पारित किए गए। ठीक है, अगर हमारे INTUC के मित्र कांग्रेस की पहली प्रगति के लिए वाहवाही लूटना चाहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय को अपने भाषण में जो कहना चाहिए था, वह मंत्री महोदय ने नहीं कहा। मेरे साथी जो उड़ीसा से आते हैं, उनको श्रम विभाग का मंत्री नहीं बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो मंत्री जी को कहना चाहिए था, पहले वक्ता के नाते उन्होंने उसे विस्तार से बोल दिया। इसमें संशोधन के जो 22 प्रावधान किए गए हैं, उन्होंने एक-एक करके उनके बारे में बारीकी से बताया, किन्तु भाषण के समय...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: महोदय, मैं एक मिनट बोलने की परमिशन चाहूंगा। रुद्रनारायण जी जो बात कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा कह कर वह मेरे डिपार्टमैंट के प्रति अन्याय कर रहे हैं। हमारे द्वारा जो भी कानून

बनाए जाते हैं अथवा बना कर यहां पेश किए जाते हैं, वह सब उनकी राय से ही होता है। Tripartite में वह भी बैठते हैं और साथ ही INTUC, CPI, CPI(M) एवं हिन्द मजदूर सभा के सदस्य भी बैठते हैं। मिलजुल कर ये सभी लोग हमें जो कंसैंसस बनाकर देते हैं, वहीं मैं यहां पर लाता हूं। अगर आप उसी का विरोध करते हैं, तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री **रुद्रनारायण पाणि**: धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदय का जो ऑब्ज़र्वेशन है कि हम इस विधेयक का विरोध करते हैं, वह बिल्कुल आधारहीन है ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): हमें मालूम है, आप विरोध नहीं करते हैं। आप अपनी बात कहें।

श्री रुद्रनारायण पाणि: भारतीय जनता पार्टी, एनडीए इसका विरोध कतई नहीं करती है। यह विधेयक आज पारित होगा और हमारे पॉज़िटिव कोऑपरेशन से पारित होगा। संयोग से 2004 से मैं Standing Committee on Labour में ही काम करता रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय अगर उसको Tripartite कह रहे हैं, तो उनसे मैं सहमत नहीं हूं। Standing Committee is not a body to be interpreted as a tripartite body. Conciliation में tri-party का मामला आता है। Employer, Management और Affected Labour इनको tri-party कहा जाता है, लेकिन जहां तक Parliamentary Standing Committee का सवाल है, उनको हम all-party कह सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष **(श्री कलराज मिश्र)**: पाणि जी, आप अपने विषय पर बोलें ...**(व्यवधान)**... खूंटिया जी, आप पहले ही बोल चुके हैं ...**(व्यवधान)**... पाणि जी, आप केवल अपने विषय पर ही बोलिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: Standing Committee on Labour के प्रति भी हमारा सम्मान है। Standing Committee on Labour deals with the Ministry of Labour and Employment and Ministry of Textiles. हम उसमें काम करते हैं। जहां तक Standing Committee और Indian Labour Conference का सवाल है, उन्होंने भी यही कहा कि ESIC Act में संशोधन होना चाहिए। जब इस विधेयक को लोक सभा में पेश किया गया, उसके बाद वह Parliament of India की Standing Committee on Labour को भेज दिया गया, जहां इसके बारे में हमने बारीकी से डिटेल्ड अध्ययन किया। अब मैं भारी मन से यह कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे CITU के मित्र और CPI(M) के माननीय सदस्य तपन सेन जी ने कहा कि Standing Committee की recommendations को भी इसमें पूरे का पूरा incorporate नहीं किया गया है।

जैसा हमने कहा था कि एज लिमिट 25 किया जाए, लेकिन उसे 21 पर ही सीमित करके रखा गया है। 2-3 और भी मुद्दे हैं। प्यारीमोहन जी भी कह चुके हैं। मुझे केवल कुछ बातें ही कहनी हैं। कांग्रेस के पहले माननीय वक्ता ने जैसा कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार, हमारी congress-led यू.पी.ए. सरकार को वाहवाही लेना चाहिए, क्योंकि या तो हम श्रम आधारित कानून ज्यादा-से-ज्यादा लाते हैं या उस कानून में संशोधन लाते हैं। मैं यह मानता हूं कि आप टेक्निकली बहुत ज्यादा कानून लाते हैं, लेकिन विधेयक लाने के बाद और उसके कानून बनने के बाद, अगर आप उसको अमल में नहीं ला पाते हैं, तो फिर आपको भी लोग कहेंगे कि UPA, यानी useless और priceless Act वाली सरकार। आप जो एक्ट बनाते हैं उसका न तो कोई यूज है और न ही कोई प्राइस है। आप केवल Schemes चलाते हैं। UPA-1 के समय Standing Committee on Labour में मेरे वामपंथी मित्र ने कहा कि हमें तो कांग्रेस के नेतागण बोलते हैं कि don't give pressure on enactment. You bring certain schemes. 6 साल एन.डी.ए. की सरकार रही। अटल जी प्रधान मंत्री थे। उस समय लेबर के कैबिनेट मंत्री सत्य नारायण जटिया जी बनाए गए थे। मैंने सबसे सम्पर्क किया। उन्होंने कहा कि 1947 से अब तक जितनी सरकारें आईं उन्होंने जितने कानून बनाए, उनमें हम पहले लेबर के मामले में यह सोचें कि इससे संबंधित कानूनों का सही ढंग से अमल किया जाए। कोई एक नया कानून लाकर केवल एक वातावरण बना देना कि हमने तो यह कानून बना दिया, उससे काम नहीं होता।

महोदय, मैं भारी मन से यह कहता हूँ कि इस देश में श्रम मंत्रालय के श्रम आधारित ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कि परस्पर विरोधी हैं। इनको अमल करने से, एक कानून पर अमल करते समय बीच में दूसरा कानून आकर अड़ंगा डालता है, इसलिए जब हम कानून बनाते हैं उस समय हमें यह भी देखना होगा कि इसका अमल कैसे ठीक ढंग से हो। हमारी पार्टी के पहले वक्ता माननीय अहलुवालिया जी कह रहे थे। उन्होंने सीलिंग के मामले में उसे 10 हजार से 15 हजार करने की माँग की। अहलुवालिया जी लगभग 22 वर्षों से इस सदन में हैं, इस देश के पार्लियामेंटरी इतिहास में श्री एस.एस. अहलुवालिया जी के योगदान को सब मानेंगे। महोदय, कांग्रेस पार्टी जब-जब सत्ता में आती है, जैसे समाजवादी पार्टी के बृजभूषण तिवारी जी ने एक बार कहा था, अपने आपको महिमामंडित करती है। उस पार्टी के नेताओं के नाम से योजनाओं का व्यापक प्रचार होता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। किसी का नाम लेने से मेरे ऊपर फिर से कोई दूसरा आरोप लग जाएगा। एक तो कांग्रेस पार्टी आपने आपको महिमामंडित करती है...(व्यवधान)...

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh): Sir, it has nothing to do with the Bill. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): पाणि जी, आप कृपया विषय पर बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि: मैं विषय पर आ रहा हूँ, महोदय। ...**(व्यवधान)**... एक ओर कांग्रेस पार्टी अपने आपका महिमामंडन करती है और दूसरी ओर लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन करती है।

संसद को विश्वास में नहीं लिया जाता है। आप May Day celebration करते हैं, उसे 1 मई को celebrate करिए, उस दिन विश्व श्रम दिवस मनाइए। हम BMS और भाजपा के लोग हैं, हमारा राष्ट्रीय श्रम दिवस विश्वकर्मा जयन्ती है। हमारा दृष्टिकोण भिन्न जरूर है, लेकिन हम May Day के विरोधी नहीं हैं। आप May Day के celebration के समय घोषणा करते हैं कि हमने सीलिंग को 10 हजार से बढ़ा कर 15 हजार कर दिया। संसद चल रही है। हमने पिछले सत्र में कितनी गुहार लगाई कि संसद चलते समय माननीय प्रधान मंत्री जी को बाहर नहीं जाना चाहिए। वे कहते हैं कि पहले से प्रोग्राम तय हो जाता है। वे यह भी कहते हैं कि पहले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम तय है, आपको क्या पता है? हम अमेरिका जाएँगे, ...**(व्यवधान)**...

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, it has nothing to do with the Bill. ...*(Interruptions)*..

***उपसभाध्यक्ष* (श्री कलराज मिश्र)**: पाणि जी, ...**(व्यवधान)**... पाणि जी, आप कृपया इस विषय पर बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, इससे इन सब चीज़ों का अवमूल्यन होता है।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष **(श्री कलराज मिश्र)**: आप कृपया इस विषय पर बोलिए।...(व्यवधान)...

SHRI JESUDASU SEELAM: He should talk on the Bill. ...*(Interruptions)*...

***उपसभाध्यक्ष* (श्री कलराज मिश्र)**: आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... पाणि जी, आप विषय पर बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI P. KANNAN (Puducherry): Sir, it is not true ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): अभी पाणि जी बोल रहे हैं।...(व्यवधान)... आप पहले बैठिए।...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, ...**(व्यवधान)**... यह जो सीलिंग का मामला है...(व्यवधान)...

SHRI JESUDASU SEELAM: He has no business to say about the Prime Minister ...*(Interruptions)*...

SHRI P. KANNAN: Sir, he should not ...*(Interruptions)*.....

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... अभी यह बोल रहे हैं...(व्यवधान)...

SHRI P. KANNAN: I should say that he is ...*(Interruptions)* ...

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, ...**(व्यवधान)**... सीलिंग में यह जो बढ़ोतरी हुई...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): आप कृपया अपने विषय पर बोलिए।...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, यह जो सीलिंग में बढ़ोतरी हुई ...**(व्यवधान)**... इसे 10 हजार से 15 हजार किया गया ...**(व्यवधान)**... सदन चल रहा है। सदन के अन्दर इसकी घोषणा की जानी चाहिए थी। ये किसी प्रकार से लोकतंत्र का अवमूल्यन करते हैं, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। महोदय, construction labour की एक Central Advisory Committee है, उसमें मैं 2004 से राज्य सभा से elected Member हूँ। पार्लियामेंट के बजट सत्र का दूसरा भाग 15.4.2010 से शुरू हुआ, माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): पाणि जी, आप विषय पर बोलें।...(व्यवधान)... आपका समय है...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, यह गंभीर विषय है।...(व्यवधान)...

श्री जेसुदासु सीलम: सर, ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): देखिए, आपकी तरफ से बोला जा चुका है, आप बैठिए।...(व्यवधान)... देखिए, इनका समय है, ये अपने समय के अंदर बोल रहे हैं।...(व्यवधान)... इनको मैं विषय पर बोलने के लिए कह रहा हूँ।

श्री **रुद्रनारायण पाणि**: महोदय, यह एक गम्भीर विषय है। Construction labour से संबंधित जो Central Advisory Committee है, उसमें लोक सभा के दो मैम्बर्स होते हैं और राज्य सभा का एक मैम्बर होता है। वह Central Advisory Committee, जिसमें ट्रेड यूनियन्स के लोग भी होते हैं, उसके चेयरमैन माननीय श्रम मंत्री हैं। जब 16 तारीख को पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता है, उसी समय उस कमेटी की मीटिंग ये रखते हैं और अहम संशोधन करा लेते हैं। क्या पार्लियामेंट के मैम्बर्स का आपके सामने कोई मूल्य नहीं रहा? पार्लियामेंट के मैम्बर्स पार्लियामेंट को अटेंड करेंगे या उसी समय वे उस मीटिंग को अटेंड करेंगे? इस प्रकार से आप सदन की गरिमा का अवमूल्यन करते हैं।

महोदय, ये श्रम के बारे में वाहवाही लूटते हैं। ये सदन और इस देश को किस प्रकार से गुमराह करते हैं, उसका एक उदाहरण यह है कि सभी 28 अप्रैल को 'ESIC hospitals in Orissa' पर मेरा एक unstarred question आया था जिसमें मैंने categorically प्रश्न किया था: Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state the number of hospitals and dispensaries being run by the Employees' State Insurance Corporation in Orissa? ...**(व्यवधान)**...

श्री जेसुदासु सीलम: सर,...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): अब आप बोल कर फिर उनको उत्तेजित कर देंगे। यह ठीक नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: उड़ीसा में ESIC द्वारा कितने hospitals and dispensaries चलाये जाते हैं, यह प्रश्न था। इसके जवाब में ये कैसे गुमराह करते हैं, यह देखिए। ये इसका उत्तर देते हैं कि out of six hospitals and 51 dispensaries functioning in Orissa, only one hospital at Rourkela is being run by the Employees' State Insurance Corporation directly. आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि उड़ीसा में ESIC द्वारा कितने hospitals and dispensaries चलाए जा रहे हैं, आप कहते हैं कि 6 अस्पताल और 51 डिस्पेंसरीज़ में से राउरकेला में केवल एक ESIC directly चला रहा है, तो ESIC का सृजन क्यों हुआ?...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): आपने प्रश्न रख दिया। अब आप विषय पर बोलिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, ESIC का सृजन इसीलिए हुआ था और जैसा इन्होंने कहा कि श्रम Concurrent List में है, इसमें राज्य भी कुछ दखल देगा और केन्द्र भी दखल देगा, लेकिन जब आप ESIC की चर्चा करते हैं और जब आप ऐसा वातावरण बनाएँगे तिक यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): पाणि जी, बैठिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, federal structure में राज्य सरकार...(व्यवधान)... जाहिर करने के लिए जो काम करते हैं, उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। अब इस federal structure में जैसा 1947 में या श्रीमती गांधी के समय में आपका एक पूरा एकाधिकार होता था, वैसा आज नहीं है। ...**(समय की घंटी)**... जब आपकी 25 राज्यों में सरकार थी और केन्द्र में भी आप ही थे। ...**(व्यवधान)**... आज ऐसा नहीं हो सकता है। आज अगर आप सपने में यह सोचेंगे तो यह नहीं हो सकता है।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): पाणि जी, बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: आप अपनी बात कीजिए, ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): आप अभी उत्तर देंगे। ...**(व्यवधान)**... पाणि जी, अब आप बैठिए, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... आप जल्दी कीजिए।...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, ये इंदिरा जी का नाम लेना सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): आपका समय खत्म हो रहा है। अब आप बैठ जाइए।...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, मेरा इतना ही कहना है कि ESIC का काम क्या होना चाहिए? ESIC को राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों के द्वारा ठीक से चला कर कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवा दी जाए, ESIC का यही काम होना चाहिए। आज यह केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के अधीन है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। महोदय, यह जो विधेयक है, इसको तो हमारे नेता, अहलुवालिया जी ने समर्थन दिया है। यह विधेयक तो कानून बन ही जाएगा, लेकिन जब आपने मुझे मौका दिया है...(व्यवधान)... इस विधेयक को हमारी पार्टी का पूरा समर्थन है, लेकिन मुझे इतना कहना है कि इस कानून के पारित होने के बाद ESIC को अधिकार होता Medical Colleges बनाने का, Para Medical Colleges बनाने का, Institutes खोलने और Dental Colleges बनाने का, लेकिन कई महीनों से ऐसा वातावरण बनाया गया है कि इन-इन स्थानों पर Medical Colleges होंगे। Medical Colleges खोलने के लिए ESIC मांग करता है, लेकिन केन्द्रीय श्रम मंत्रालय राजनीति करता है। आपके मंत्रालय ने NDA के समय में 6 AIIMS जैसे Colleges खोलने की बात कही थी, उनमें से एक भुवनेश्वर में खोलने की बात कही गई थी, लेकिन उसका काम तक नहीं हो पाया ...**(व्यवधान)**... भुवनेश्वर में नहीं हुआ ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र): पाणि जी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: भुवनेश्वर में इस Medical College को खोलने के बारे में राजनीति चल रही है। अगर ESIC की ओर से आपको Medical College खोलना है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप इसका शिलान्यास कब करेंगे और इसके लिए भुवनेश्वर में आपने कहां जमीन earmark की है, यह बताइए? आप इस विषय पर राजनीति मत करिए ...**(व्यवधान)**... ESIC के माध्यम से देश के गरीब मज़दूरों के स्वास्थ्य की रक्षा हो, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: उपसभाध्यक्ष जी, इस विधेयक पर 7 माननीय सदस्यों ने अपनी बातें सदन के सामने रखी हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे सुझाव हमें दिए हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उनके सजेशंस के बारे में मैं गंभीरता से सोचूंगा और जब समय आएगा, तो उनको फिर से examine किया जाएगा। आज के

हालात में हम इस बिल में 15 अमेंडमेंट्स लाए हैं और 4 नए अमेंडमेंट्स भी इसमें हैं। ये सारे अमेंडमेंट्स कर्मचारियों के हित में हैं।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

उपसभापति जी, अभी अहलुवालिया जी ने, खूंटिआ जी ने, तपन कुमार सेन जी ने, महेन्द्र मोहन जी ने, आर.सी. सिंह जी ने, महापात्र जी ने और आखिर में रुद्रावतार लेकर रुद्रनारायण पाणि जी ने अपनी बातें पेश की हैं, मैं इन लोगों के विचारों को ध्यान में रखूंगा, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट हमेशा से कर्मचारियों के हित में काम करती आई है। इसमें कोई party politics या vested interest की बात नहीं है। बातों-बातों में अहलुवालिया जी ने कुछ बातें बताईं, लेकिन रुद्रनारायण जी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब ये मीटिंग में रहते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, जब कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग चलती है, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग चलती है, तो हमारे दूसरे मित्र भी बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी बातें करते हैं और सलाह देते हैं, लेकिन यहां आते ही ये party politics करने लगते हैं। इसलिए इनको समझाना जरा मुश्किल है।

उपसभापति जी, बहुत से सांसदों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि third party participation के माध्यम से हम privatization की तरफ जाने की राह ढूंढ रहे हैं, यह असत्य है। Third party participation का मतलब यही है कि जो ESIC underutilized है, यदि वहां हमारे लोग कम हैं और अगर RSBY के beneficiaries वहां हैं, तो उनकी मदद करने के लिए यह प्रावधान हमने रखा है।

सर, मैं दूसरी बात यह बताना चाहता हूँ कि जिस जगह पर हमारे hospitals हैं, अगर वहां से इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है और वहां कोई insured person नहीं है, तो वे hospitals खाली न रहें, बल्कि उनका उपयोग हो, इसलिए हमने इस प्रावधान को रखा है। यह privatisation के लिए नहीं है और हम privatisation करना भी नहीं चाहते हैं। यह उससे बहुत दूर है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तपन सेन जी, आपने जितनी गंभीरता से इसको लिया है, उससे ज्यादा गंभीरता से सरकार ने भी लिया है, मैं आपको इस बात को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ।

दूसरी बात यह कही गई है कि बहुत-से पदों को भरा नहीं गया, जिसके कारण बहुत-से पद खाली हैं। ठीक है, यह बात पहले थी, लेकिन आज की स्थिति में हमने 753 मेडिकल ऑफिसर्स को appoint किया है, 158 Specialists को appoint किया है, 12 डेन्टल सर्जन्स को appoint किया है और 11 आयुर्वेदिक फिजिशियन्स को appoint किया है। अभी recruitment चल रहा है। Additional more than 1500 paramedical staff भी recruit किया गए हैं। मैं जो figures दे रहा हूँ, ये recent figures हैं और recent में हमने जो काम किया है और जो recruitment हो रहे हैं, उनके बारे में है। इसके बारे में अहलुवालिया साहब ने भी यहां पर सदन में बताया था कि आप किस ढंग से इतने लोगों को मदद करेंगे या उनकी देखभाल करेंगे। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे ESI के जो ऑफिसर्स हैं, जो Directors हैं, उन्होंने इसमें बहुत interest लेकर यह recruitment किया है, इसलिए इसका फायदा हमारे कर्मचारियों को जरूर होगा और hospitals भी बहुत अच्छे ढंग से चलेंगे।

तीसरी बात dual control की है। आपको तो मालूम है कि लेबर डिपार्टमेंट Concurrent List में है। हम जितने भी कानून बनाते हैं, उनका implementation राज्यों में होता है और इनको राज्य सरकार implement करती है। हम बार-बार review करते हैं और इसके लिए हम State Ministers' Conference करते हैं, हमारे सेक्रेटरी वहां के सेक्रेटरियों को बुला कर बार-बार review करते हैं। इसके बावजूद भी ESI के जो hospitals स्टेट में हैं, उनमें से बहुत-सी जगहों पर उनकी स्थिति ठीक नहीं है। उनकी स्थिति ठीक नहीं रहने की वजह से उसका ब्लेम सेंटर पर आता है। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि इस पर ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, लेकिन मुश्किल यह है कि जब आप हम पर ब्लेम करते हैं, तो हमें वस्तुस्थिति को तो बताना पड़ेगा कि क्या चल रहा है

और क्या नहीं चल रहा है। ESI Hospitals को केन्द्र सरकार 87.5 परसेंट contribute करती है और बाकी 12.5 परसेंट राज्य सरकार contribute करती है। इसके बावजूद भी बहुत से hospitals में ठीक ढंग से recruitment नहीं होता है और जो डॉक्टर नहीं चाहिए, उसी की पोस्टिंग वहां की जाती है और जहां Specialists चाहिए, वहां Specialists की पोस्टिंग नहीं करते हैं। इसकी वजह से वहां पर स्थिति बेकार है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वैसे hospitals में सुधार हो। बहुत-से स्टेट में hospitals को upgrade करने के लिए हमारा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के तहत, वह चाहे दिल्ली में हो, पटना में हो, बंगलुरु में हो, चैन्नई में हो या हैदराबाद में हो, हम हर जगह hospitals का upgradation कर रहे हैं और वहां पर नई-नई मशीनें ला रहे हैं, नए-नए construction कर रहे हैं और उसका expansion भी हो रहा है। इससे बहुत-सी जगहों पर बहुत-से कार्मिक लोगों को उसका फायदा होगा। बहुत-से ट्रेड यूनियन लीडर्स जानते हैं कि क्या हो रहा है।

लेकिन इसके बावजूद भी dual control की बात हो रही है। सर, dual control तब तक रहेगा, जब तक संविधान में प्रावधान है, जब तक constitution में provision है, तब तक स्टेट और सेंटर, दोनों मिलकर इसमें काम करते रहेंगे और मुझे भी इसी दायरे में काम करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त compensation during commuting के बारे में कहा गया। यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले जो था, उसमें कुछ दिक्कतें थीं क्योंकि पहले जो employee काम पर आता था, अगर ऐक्सीडेंट में या किसी वजह से दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती थी या वह disabled हो जाता था तो उसे compensation की सुविधा नहीं थी, इसलिए इसे क्लैरीफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो direction दी थी, उसका provision तो था, लेकिन उसमें clarity न होने की वजह से उन्होंने कहा था। स्टेंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस से मुताबिक आपको हम लोग यहां लाए हैं। यह ठीक बात है कि आप सभी ने उसका स्वागत किया। महोदय, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के बारे में अहलुवालिया साहब ने कहा था। महोदय, 30.01.2010 तक 6 करोड़ 49 लाख का disbursement हुआ और कम से कम 3,573 केसेज़ में हमने unemployment allowance दिया है। जो insured persons होते हैं, उनको ESI में कवर किया जाता है, ताकि contribution एक का हो और फायदा किसी और को हो। मैं समझता हूं कि इसे employers लोग नहीं मानेंगे, इसीलिए ये सारी चीज़ें हमने की हैं।

महोदय, यह कहा गया कि 20 हजार करोड़ रुपए डिपॉज़िट हैं इसीलिए हर जगह यह काम करना चाहिए या बड़े-बड़े अस्पताल खोलने चाहिए। इस संबंध में मैं उन्हें एक क्लैरीफिकेशन देना चाहता हूं कि जैसे contribution आता है, वह वैसे ही खर्च भी होता रहता है। यह एक continuous process है। सिर्फ डिपॉज़िट करके बैठा नहीं जाता बल्कि सारी States और union territories को वह पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है। इसीलिए हमेशा पैसा जमा भी होता है और जाता भी है। इस प्रकार आज 20 हजार करोड़ रुपए ESI में डिपॉज़िट हैं। महोदय, benefit extend करने के लिए पहले 6 महीने का समय दिया था लेकिन हमने उसको 1 महीना इसलिए दिया क्योंकि 6 महीने का समय देने के बावजूद भी बहुत सी जगहों पर कवर नहीं करते हैं, जल्दी notification नहीं निकालते जिसकी वजह से जो contribution आना चाहिए, वह जल्दी नहीं आ पाता। यही कारण है कि हमने उसको 1 महीना कर दिया है जिससे बहुत सी जगह तुरंत यह काम हो जाएगा। श्रमिक कल्याण योजना में पहले contribution 5 साल का था जिसे reduce करके हमने 3 साल कर दिया था। इससे बहुत फायदा हुआ। ये मुद्दे अहलुवालिया साहब और हमारे अन्य कुछ साथियों ने उठाए थे, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं उन्हें इनके संबंध में उत्तर दूं। महोदय, यह कहा गया कि इंस्पेक्टर चला गया तो उसकी वजह से पूरा काम ठप्प हो जाएगा, social security officer बनने के बाद वह कोई काम नहीं करेगा, ऐसी जो

apprehension है, वह ठीक नहीं है। social security officer का नाम देने के बावजूद भी उसका काम वही होगा, और भी दूसरे काम उसको हम entrust करेंगे — चाहे awareness का हो, RSBY का हो या smart card distribution का हो — केवल awareness क्रिएट करने के लिए हमने nomenclature चेंज करके ऐसा किया है।

दूसरा कोई उद्देश्य नहीं, उनकी हम कोई पॉवर घटा नहीं रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उनको मजबूत बनाएंगे और फील्ड में जाकर वे काम करें। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि 2008-2009 में 31,771 इंस्पेक्शन किए गए हैं, उसके अलावा 37,861 केसेज फाइल किए गए हैं, इनमें 1,375 डिफाल्टर्स के खिलाफ भी केसेज किए गए हैं तथा इसमें 48 लोगों को कंविक्शन भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इंस्पैक्टर कोई काम नहीं कर रहे हैं तथा उनसे कोई फायदा नहीं है और यह मानना कि उसने आज तक एक के खिलाफ भी कोई केस नहीं किया है, सही नहीं होगा। तो इसका यह सबूत है कि जो केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं इनके तहत कोर्ट में गए हैं जिसमें कंविक्शन भी हुआ है, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं।

दूसरी चीज, इंश्योर्ड परसंस को, पहले एक हजार प्रति व्यक्ति हम स्टेट को देते थे, अब वह बढ़ाकर एक हजार दो सौ रुपए देने हैं। अब प्रति व्यक्ति दो सौ रुपया ज्यादा एनहेंस करके देने से ज्यादा से ज्यादा उनको फेसिलिटी मिलती है। लेकिन बहुत से स्टेट जिनको यहां से जो पैसा मिलना चाहिए वह कम मिलता है, क्योंकि वे अपने यहां कम खर्च करते हैं। इसलिए मेरी अपील है कि जहां पर कोई भी एम्पलॉइज लीडर हो या कार्यकर्ता हो या सोशल वर्कर हो, वह इसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेकर जिनको जो हक मिलना चाहिए उनको वह हक दिलाने के लिए पूरी कोशिश करें, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, अमेंडमेंट आपके सामने रखी हैं। इसमें 21 साल से बढ़ाकर 25 साल करने, इसमें विस्तार करने तथा इसका कवरेज बढ़ाने के बारे में सारी चीजें आपके सामने हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस बिल को पास करके जल्द से जल्द लेबर के हित में लागू करने के लिए आप मुझे परमिशन दें। धन्यवाद।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sri, I want to seek one clarification.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already spoken. What clarification do you want?

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I want to seek clarification on third party participation. The ESI hospitals are run by State Governments. In places where the State Government is not maintaining, there are cases that the ESI has taken over the administration of that hospital. Kindly clarify one thing. If the underutilization of the ESI hospital's capacity is to be utilized by involving other non-insured person on payment of usual charges, there is absolutely no objection. But third party participation means, handing over fully or even partial administration of the ESI hospital to any other authority other than the State Government or the ESI Corporation itself. Is it so? If it means like that, it tantamounts to creating an enabling situation for privatization. You may not privatize. But you are creating an enabling condition for privatization, if it is handed over to a party other than the State Government or the Central Government.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI HARISH RAWAT): It is just an enabling clause. Whatever is decided, that will first go to the Corporation and the Corporation will decide how to deal with it.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: That is what I am saying. That is creating an enabling condition to finally handing over to a third party.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: We are not handing over. Suppose, there is a hospital in Kanpur, but no insured person is going there. Like that, if the industries have shifted from those places where there are hospitals, we have to utilize such hospitals in the public interest.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: For utilization, there is no objection. ...*(Interruptions)*... What is meant by third party? Kindly explain it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has given all the details. What is this? ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I have already said that the administration will be with the ESI.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, I would like to ask one thing. The hon. Minister has said that about Rs. 20,000 crores is the surplus with them. Is this cash balance, which is available with the ESIC, a result of salaries of 8,000 people, medical and para medical staff, not being drawn because the posts are vacant, or, is it because of any kind of economy measures, or, is it that you have got this surplus from somewhere?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: This question does not arise. This is the contribution. Every time it comes and we have to spend. As of today, this is the balance, which I have stated.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That the Bill further to amend the Employees' State Insurance Act, 1948, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 25 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up further discussion on the working of the Ministry of Home Affairs.

————————